

प्रकरण संख्या 50/2015 श्रीमती नारायणीबाई बनाम श्रीमती काली व अन्य

तारीख हुकम	हुकम पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
27.08. 2019	<p>प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 द्वारा अपीलान्ट व अन्य रेस्पोंडेन्टगण के विरुद्ध एक वाद घोशणा एवं निशेधाज्ञा का प्रस्तुत किया गया, जिसे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व लाक अदालत में रखा जाकर दिनांक 12.06.2015 को स्वीकार कर डिकी किया गया।</p> <p>अधिनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय व डिकी दिनांक 12.06.2015 से रूश्ट होकर अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 5 द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 25.08.2015 को प्रस्तुत की गयी है।</p> <p>अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 से 3 की ओर से अधिवक्ता श्री महे"ा भट्ट उपस्थित हुए। रेस्पोंडेन्ट संख्या 4 व 5 औपचारिक पक्षकार की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री पंकज भटनागर उपस्थित हुए।</p> <p>अपीलान्ट द्वारा दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन स"ापथ प्रस्तुत कर देरी के कारणों का उल्लेख किया गया, जिसे न्यायहित में स्वीकार किया जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।</p> <p>अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गयी एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व आदे"िका के अवलोकन से प्रकट आया कि प्रकरण प्रार्थना पत्र आदे"ा 8 नियम 9 जा.दी. के जवाब हेतु दिनांक 07.04.2015 को रखा गया। इसके बाद दो पे"ियों पर पीठासीन अधिकारी के भ्रमण पर होने से पत्रावली दिनांक 11.08.2015 के लिए नियत की गयी, किन्तु उक्त दिनांक के स्थान पर उसके पूर्व ही पत्रावली दिनांक 12.06.2015 को राजस्व लोक अदालत में रखी</p>	

जाकर अपीलान्त/प्रतिवादी संख्या 5 की अनुपस्थिति में वादीया का वाद स्वीकार कर डिकी कर दिया गया, जिसकी किसी प्रकार की सूचना अपीलान्त/प्रतिवादी संख्या 5 को दिये जाने की कोई साक्ष्य पत्रावली के रेकार्ड पर उपलब्ध नहीं है। तदनुसार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिकी प्रथम दृष्टया प्राकृतिक न्याय एवं विधि के विरुद्ध होने से अपास्त योग्य है।

अतएवं अपील अपीलान्त स्वीकार की जाती जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिकी दिनांक 12.06.2015 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में उभयपक्षों को विधिवत सुनवाई का अवसर देकर उनसे साक्ष्य सबूत प्राप्त कर विधिक निर्णय पारित करें।

पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 31.10.2019 को उपस्थित रहें। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफतर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 27.08.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रियंका जोधावत)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील

अधिकारी

उदयपुर

प्रकरण संख्या 50/2015 श्रीमती नारायणीबाई बनाम श्रीमती काली व अन्य

--	--	--

प्रकरण संख्या 50/2015 श्रीमती नारायणीबाई बनाम श्रीमती काली व अन्य

--	--	--